



सेवा बै

प्राचार्य / प्राचार्यी

समरत सम्बद्ध महाविद्यालय
एम०जे०पी०र०वि०, वरेली।

विषय- विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों में शान्तिपूर्ण एवं शुचितपूर्ण परीक्षाएं सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया

अवगत कशाना है कि विश्वविद्यालय की नई शिक्षा नीति-2020 से आच्छित स्नातक स्तर पर द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर 2024 की परीक्षाये दिनांक 10.05.2024 से प्रारम्भ हो रही है। राज्य सरकार जीरो टालरेन्स नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1043/सत्तर-1-2022-16(9)/2018 लखनऊ दिनांक 08.04.2022 एवं शासनादेश संख्या उ०शि००१० 01/सत्तर-1-2022-16(09)/2018, लखनऊ दिनांक 27.05.2022 एवं समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है—

कमशः....2 पर

7. नई शिक्षा नीति-2020 से आच्छादित स्नातक स्तर (वी०ए०, वी०एस०सी०, वी०काम०, वी०वी०ए०) द्वितीय, चतुर्थ एवं पष्ठम सेमेस्टर 2024 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों से परीक्षा समाप्ति के पश्चात बुकलेट एवं ओ०एम०आर० दोनों जमा करायी जानी है। जिसे पृथक-पृथक लिफाफों में सील्ड कर नोडल सेन्टर्स/संकलन केन्द्रों पर जमा किया जाना सुनिश्चित करें।
8. परीक्षा समाप्ति पश्चात प्रत्येक दशा में एक घण्टे के अन्दर निर्धारित नोडल केन्द्र/संकलन केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बण्डल प्रतिदिन जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. आपके परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित गोपनीय प्रपत्रों पर संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की तिथि/पाली एवं समय का संशोधन का अनुपालन विशेष रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।
10. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु पृथक-पृथक शौचालय (महिला/पुरुष) की व्यवस्था करें।
11. समस्त परीक्षा केन्द्र परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लें।
12. समस्त केन्द्राध्यक्ष, विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष की भौति आयोजित होने वाली परीक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी निर्देश पुस्तिका का अध्ययन कर समुचित रूप से अनुपालन करें।
13. परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष के अतिरिक्त प्रबन्धतंत्र का अन्य कोई सदस्य महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होना चाहिए।
14. स्ट्रांगरूम की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
15. मानकानुसार कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी प्रत्येक परीक्षा कक्ष में लगायी जाये।
16. सी०सी०टी०वी० एवं वायस रिकार्डर समुचित रूप से चालू स्थिति में रहे व रिकार्डिंग कम से कम 60 दिवसों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो।
17. अपने महाविद्यालय द्वारा डाटा ए०आई०एस०एच०ई० के पोर्टल पर दर्ज करें।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण की जाये। परीक्षाओं के संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, गोपनीयता, अनुचित साधनों के नियंत्रण हेतु निर्देशों के विचलन किये जाने, व्यतिक्रम होने व निर्देशों का उल्लंघन किये जाने यर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

१५

प्रतिलिपि—

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्द्रिया भवन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली एवं मुरादाबाद परिषेत्र।
4. उप कुलसचिव(गोपनीय/परीक्षा)
5. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
6. वर्येक्षितक सहायक, कुलसचिव।
7. डा० अमित सिंह, मीडिया प्रभारी
8. प्रभारी, विश्वविद्यालय वैबसाइट।

परीक्षा नियंत्रक

१५